कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्रांकः 247 एम0टी0/सामान्य वर्ग/40एम0टी0-3/2014 दिनांकः 8/1/2015

कार्यालय-ज्ञाप

आपका मार्ग श्रेणी 'ए' में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक-8054एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0-97/08 दि0-08.8.2013 द्वारा दि0-30.6.2016 तक के लिये किया गया है। आप द्वारा निर्माण खण्ड-2 लो0नि0वि0 गोण्डा के अन्तर्गत अनुबंध सं0-40/ई0ई0 दि0-05.9.2013 से गोण्डा बेलसर-उमरी बेगमगंज मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के नवीनीकरण का कार्य कराया जा रहा है, जिसपर अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-2, लो0नि0वि0 गोण्डा के पत्रांक-2117सी0बी0 दि0-26.12.2013 द्वारा जो लो0नि0वि0 की विशिष्टियों के अनुरूप कार्य न कराये जाने के कारण श्री जी0डी0 सिंह, सहायक अभियन्ता की संस्तुति के आधार पर तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा अनुबंध की शर्तो के अनुसार अनुबंध की लागत पर एक प्रतिशत जुर्माना लगाया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त आप द्वारा विभागीय अधिकारियों के साथ अभद्रता एवं मारपीट की घटना प्रकाश में आने पर आपके विरूद्ध नगर कोतवाली गोण्डा में विभागीय अधिकारियों द्वारा एफ0आई0आर0 भी दर्ज करायी गयी थी। आपका उक्त कृत्य **(Misconduct)** की श्रेणी में आने पर नियमानुसार इस कार्यालय के पत्रांक-2574एम0टी0/सामान्य वर्ग/40एम0टी0-3/14 दि0-25.3.2014 द्वारा आपको कारण बताओं नोटिस दी गयी थी, जिसका उत्तर आपके दिनांक रहित पत्र (जो इस कार्यालय में दि0-15.4.2014 को प्राप्त हुआ) द्वारा उपलब्ध कराया गया। आप द्वारा दिये गये उत्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा प्राप्त करायी गयी आख्या के अनुसार आप द्वारा लिखा गया उत्तर संतोषजनक न पाते हुए आपका व्यवहार पंजीकरण नियमावली के अनुरूप नही पाया गया और आपका पंजीकरण निरस्त कर पंजीकरण नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आपके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः अधिशासी अभियन्ता,नि0खण्ड-2 लो0नि0वि0 गोण्डा, अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त लो0नि0वि0 गोण्डा एवं मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद से प्राप्त आख्या/संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त इस कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र दि0-08..8.2013 द्वारा किये गये पंजीकरण को निरस्त करते हुए आपको ब्लैकलिस्ट किया जाता है। उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होगें।

ह0/-
(ए0के0 मिश्रा)
मुख्य अभियन्ता (मु0-2)
लो0नि0वि0 लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0एस0वाई0, डास्प/सोडिक लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
2. मुख्य अभियन्ता, फैजाबाद क्षेत्र लो0नि0वि0 फैजाबाद को उनके पत्रांक-14970फै0क्षे0/43फै0क्षे0-पंजी0-लखनऊ(कम्प0/14 दि0-30.12.2014 के संदर्भ में।
3. अधीक्षण अभियन्ता, गोण्डा वृत्त लो0नि0वि0 गोण्डा।
4. अधिशासी अभियन्ता, नि0खण्ड-2 लो0नि0वि0 गोण्डा।
5. श्री पल्टूराम (सोल प्रो0) मेसर्स सोनकर ट्रेडर्स, ग्राम-भढ़वा परेड सरकार, पोस्ट-प्रधान डाकघर, जिला-गोण्डा।

मुख्य अभियन्ता (मु0-2)
लो0नि0वि0 लखनऊ